भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3415
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिमी बंगाल में जल जीवन मिशन

3415. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल के लिए स्वीकृत, जारी की गई और रोकी गई निधियों की यथार्थ राशि कितनी है;
(ख) इसमें विलंब सभी घरों में घरेलू नल कनेक्टिविटी के घोषित लक्ष्य से किस प्रकार संगत है;
(ग) बार-बार प्रतिबद्धता व्यक्त किए जाने के बावजूद पूर्वी भारत के कुछ भागों सहित उक्त राज्य के कई जिलों में फ्लोराइड, आर्सेनिक और लवणता संदूषण के बने रहने के क्या कारण हैं, और
(घ) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में वित्त पोषण की कमी कमजोर ग्रामीण और जनजातीय आबादी को असमानुपातिक रूप से प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार, अगस्त 2019 से, पश्चिम बंगाल सहित राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पीने योग्य पानी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचित के अनुसार, मिशन की शुरुआत में, अगस्त 2019 में, केवल 2.15 लाख (1.22%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। 09.03.2026 तक, पश्चिम बंगाल में 1.75 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 99.50 लाख (56.69%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आबंटित केन्द्रीय निधि और पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा आहरित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य व्यय
	अथ शेष	आबंटित निधि	राज्य द्वारा आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	469.54
2020-21	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17
2021-22	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77
2022-23	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21
2023-24	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11
2024-25	953.19	5,049.98	2,524.99	3,478.18	3,003.06	4,905.55
2025-26	475.13	-	-	475.13	-	-
कुल		24,645.00	13,027.84	13,788.66	13,313.54	15,101.35

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

जल जीवन मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक ग्रामीण नल कनेक्टिविटी है, लेकिन इसका कार्य-निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय निधियों के लिए समय पर परियोजना प्रस्तावों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है। नतीजतन, राज्य स्तर पर प्रशासनिक देरी या धीमी गति से कार्य-निष्पादन निधि जारी करने में सीधे तौर पर बाधा डालता है, जिससे प्रत्येक परिवार को कार्यशील जल उपलब्ध कराने का मिशन का लक्ष्य अवरूद्ध हो जाता है।

जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। जेजेएम के तहत, परिवारों को नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता के मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें।

इसके अलावा, जेजेएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि जेजेएम मानकों के अनुरूप पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों के चालू होने तक प्रत्येक परिवार को उसकी पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 8-10 लीटर तक पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके। राज्यों द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बसावटों को आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से मुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

***